न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 204/2023 तारीख रजू:–23.10.2023

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. फूलसिंह पुत्र रामखिलाडी, जाति जाट निवासी बाजनाखुर्द, तहसील हिण्डौन, जिला करौली राजस्थान ———————————— सायल

बनाम

1.	वीरेन्द्र पुत्र जीवन	जाति सभी जाट,
2.	जीतेन्द्र पुत्र जीवन	निवासी बाजनाखुर्द,
3.	धर्मेन्द्र पुत्र जीवन	तहसील हिण्डौन,
4.	जियालाल पुत्र सुग्रीव	जिला करौली राजस्थान

5. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील हिण्डौन, जिला करौली ——गैरसायलान

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः– 1. श्री सन्तोष कुमार मुदगल एडवोकेट सायल
2. श्री बने सिंह जगरवाल एडवोकेट गैरसायल नं01 ता 4

निर्णय दिनांक :– 11.09.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायल ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 01 में दर्ज किया है कि सायल की ओर से उपरोक्त उनवानी दावा बावत विभाजन आराजीयात एवं स्थायी निषेधाज्ञा गैरसायलान व दावे के प्रतिवादी सं. 1 व 2 के विरुद्ध मजबूत आधारों पर पेश कर दिया है, जिसमें सायल को सफलता मिलने की पूरी–पूरी संभावना है।

प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 02 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नं. 1277 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नं. 691 रकबा 0.44 हैक्टेयर, खसरा नं. 695 रकबा 0.37 हैक्टेयर, खसरा नं. 697 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नं. 845 रकबा 0.42 हैक्टेयर, खसरा नं. 876 रकबा 0.34 हैक्टेयर, खसरा नं. 877 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नं. 931 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नं. 958/1 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नं. 964 रकबा 0.04 हैक्टेयर,

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

खसरा नं. 965 रकबा 0.10 हैक्टेयर, कुल खसरा–11 कुल रकबा 2.59 हैक्टेयर वाके ग्राम बाजनाखुर्द, तहसील हिण्डौन, जिला करौली स्थित है।

प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 03 में दर्ज किया है कि उक्त आराजी में सायल व दावे के प्रतिवादी सं. 1 व 2 बराबर हिस्सा 1/3, 1/3 के खातेदार काश्तकार हैं, जिन्होंने करीब 10 वर्ष पूर्व उक्त आराजी पर वाहमी बंटवारा कर रखा है और वाहमी बंटवारे के अनुसार आराजी खसरा नं. 695 रकबा 0.37 हैक्टेयर व खसरा नं. 697 रकबा 0.17 हैक्टेयर व खसरा नं. 958/1 रकबा 0.33 हैक्टेयर सायल के हिस्से में आयी है। सायल व दावे के प्रतिवादी सं. 1 व 2 अपने–अपने हिस्से पर काबिज व दाखिल होकर काश्त करते चले आ रहे हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 04 में दर्ज किया है कि सायल ने अपने हिस्से की उपरोक्त आराजी में गत फसल बाजरा काश्त की थी जिसकी बुबाई, नलाई, कुडपाई इत्यादि समस्त कृषि कार्य बहैसियत खातेदार मालिक किये थे एवं फसल बाजरा तैयार होने पर सायल द्वारा काटी गयी है।

प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 05 में दर्ज किया है कि आराजी मुतजिक्रा मद नं. 2 प्रार्थना पत्र से गैरसायलान सं. 1 लगायत 4 का कोई सम्बन्ध नहीं रहा है। सायल निहायत सीधा–सादा कमजोर व्यक्ति है, जबकि गैरसायल सं. 1 लगायत 4 खूंखार, ताकतवर, झगडालू, लट्ठबाज, बाहुबली व्यक्ति हैं, जो कि लट्ठ व आदमी की ताकत पर सायल के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि से सायल को जबरन बेदखल कर स्वयं कब्जा करने पर उतारू हैं, इस आशय से सायल को काश्त करने में बाधा उत्पन्न करते रहते हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 06 में दर्ज किया है कि वाका दिनांक 08.10.2023 को सुबह 8–9 बजे का है कि सायल अपनी कब्जे काश्त की उक्त आराजी में रबी की फसल हेतु जोत लगवाकर तैयारी कर रहा था, तब गैरसायलान 1 लगायत 4 सायल की उक्त आराजी पर आये और कहने लगे कि इस भूमि में हम काश्त करेंगे, तुम्हें इस भूमि में काश्त नहीं करने देंगे। सायल ने कहा कि यह भूमि मेरे कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है, तुम्हारा इस भूमि से कोई संबंध वास्ता नहीं है, फिर तुम हमें क्यों परेशान कर रहे हैं तो गैरसायलान 1 लगायत 4 एकदम नाराज हो गये और सायल से बोले कि हमारा तो लट्ठ है और हम तो लट्ठ की ताकत से तुम्हें इस भूमि से बेदखल कर जबरन अपना कब्जा करेंगे, तुम्हारी मर्जी हो सो करो। सायल ने गैरसायलान 1 लगायत 4 को काफी समझाया, परन्तु गैरसायलान 1 लगायत 4 अजखुद मानने को तैयार नहीं है। अगर गैरसायलान 1 लगायत 4 अपने उक्त गलत व गैरकानूनी इरादों में कामयाब हो गये तो सायल को अत्यधिक हानि हो जावेगी तथा सायल बर्बाद हो जावेगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी प्रकार से संभव नहीं होगी। इस कारण यह प्रार्थनापत्र बावत् अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 07 में दर्ज किया है कि गैरसायलान तब तक अपनी बेजा हरकतों से बाज नहीं आवेंगे जब तक कि उन्हें जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद नहीं फरमा दिया जावेगा, पाबंद न करने की सूरत में सायल को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी द्रव्य में संभव नहीं हो सकेगी, इस कारण गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक व न्यायसंगत है।

प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 08 में दर्ज किया है कि सायल के पक्ष में प्रथम दृष्टया केस, सुख सुविधा का संतुलन व अपूर्तनीय क्षति बखूबी प्रमाणित हैं।

अतः प्रार्थनापत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सायल स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला मूल वाद इस प्रकार पाबंद फरमाया जावे कि गैरसायलान ना तो स्वयं और ना ही दीगर व्यक्तियों की मदद से विवादित आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 2 प्रार्थनापत्र में वाहमी बंटवारे अनुसार सायल के हिस्से की भूमि आराजी खसरा नं. 695 रकबा 0.37 है0व खसरा नं. 697 रकबा 0.17 है0 व खसरा नं. 958 /1 रकबा 0.33 है0 वाके ग्राम बाजनाखुर्द तहसील हिण्डौन, जिला करौली के कब्जा काश्त में मजाहमत मदाखलत पैदा ना करे, सायल को बेदखल ना करे, ना ही जबरन कब्जा करे, सायल को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें। गैरसायलान ऐसा कोई कृत्य ना करे जिससे हकूक सायल पर विपरीत प्रभाव पड़े। गैरसायलान वादग्रस्त आराजीयात की रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 06.06.2024 को गैरसायल सं0 1 ता 4 की ओर से श्री बनैसिंह जगरवाल एडवोकेट ने बकालतनामा पेश किया तथा दिनांक 11.02.2025 को जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 01 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 1 में सायल द्वारा गैरसायलान के विरूद्ध एक कतई गलत एवम झूठा दावा विभाजन आराजीयात एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया जाना स्वीकार है जिसमें सायल को सफलता मिलने का कोई चान्स नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 02 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 2 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है, इस मद में आराजीयात का ग्राम बाजनाखुर्द तहसील हिण्डौन में स्थित होना स्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 03 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 3 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है, गलत है, स्वीकार नहीं है। आराजीयात खसरा नम्बर 695, 697, 958/1 सायल के हिस्से में वाहमी बंटवारा में नहीं आयी बल्कि खसरा नम्बर 695, 697 पर कब्जा गैरसायलान का शुरू से है। उक्त भूमि से सायल का कोई बास्ता किसी प्रकार का नहीं है ना ही उक्त भूमि पर सायल का कब्जा काश्त रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 04 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 4 गलत होने के कारण अस्वीकार है। उक्त भूमि में सायल ने गत फसल में बाजरा काश्त नहीं किया और ना ही सायल का उक्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त ही रहा है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 05 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 5 गलत होने के कारण अस्वीकार है। उक्त भूमि गैरसायलान के शुरू से ही कब्जा काश्त में चली आ रही है, तथा गैरसायलान शांति प्रिय आदमी है इस मद में सायल ने सारी बातें गलत लिखी है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 06 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 6 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है, गलत एवम झूठा होने के कारण अस्वीकार है। दिनांक 08.10.2023 को सायल व गैरसायलान के मध्य कोई बातचीत नहीं हुयी ना ही गैरसायलान ने किसी प्रकार की कोई धमकी ही दी, सायल ने गैरसायलान को हैरान परेशान करने के लिये गलत तथ्य दर्ज कर मुकदमा हाजा पेश किया गया है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 07 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 7 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है, गलत एवम झूठा होने के कारण अस्वीकार है। आराजीयात मुतदाविया के टिनेन्सी की भूमि है जिसका अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है, तथा प्रत्येक इंच पर प्रत्येक को टिनेन्सी का कानूनन हक है, इसलिए कोटिनेन्ट को कानूनन अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 08 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 8 गलत है, अस्वीकार है। सायल का ना तो प्रथम दृष्टया केस साबित है ना ही सुविधा का संतुलन भी सायल के पक्ष में है। प्रार्थना–पत्र हाजा कतई गलत एवम झूठे तथ्यों का पेश किया है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 09 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र में चाही गयी रिलीफ से इंकारी है। सायल वखिलाफ गैरसायलान कोई रिलीफ किसी प्रकार की प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

उज्रात मजीद

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 10 में दर्ज किया है कि खसरा नम्बर 958/1 पर गैरसायलान का कोई कब्जा नहीं है, और गैरसायल का कोई लेना देना नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 11 में दर्ज किया है कि खसरा नम्बर 697 पोखर होने के बावजूद आज तक सिवायक नहीं हुई है। खसरा नम्बर 696/1, 696/2 गै. मु. पोखर कर दी गयी है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 12 में दर्ज किया है कि खसरा नम्बर 684/1, 684/2 पर सायल फूल सिंह, रामेश्वर मुकेश का करीब 40 साल से कब्जा काश्त चला आ

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

रहा है। उक्त प्रकरण में सायल के भाई रामेश्वर मुकेश का कहना है कि हमको किसी प्रकार की शिकायत नहीं है।

अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र सायल विरुद्ध गैरसायलान मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकील सायल ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी 2071–74 पेश की हैं।

इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया हैं।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील सायल ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। नकल जमाबन्दी 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1277 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नं. 691 रकबा 0.44 हैक्टेयर, खसरा नं. 695 रकबा 0.37 हैक्टेयर, खसरा नं. 697 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नं. 845 रकबा 0.42 हैक्टेयर, खसरा नं. 876 रकबा 0.34 हैक्टेयर, खसरा नं. 877 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नं. 931 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नं. 958/1 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नं. 964 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नं. 965 रकबा 0.10 हैक्टेयर, कुल खसरा–11 कुल रकबा 2.59 हैक्टेयर वाके ग्राम बाजनाखुर्द, तहसील हिण्डौन की खातेदारी फूलसिंह पुत्र रामखिलाडी हि0 1/3, मुकेश पुत्र रामखिलाडी हि0 1/3, रामेश्वर पुत्र रामखिलाडी हि0 1/3 जाति जाट सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1277 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नं. 691 रकबा 0.44 हैक्टेयर, खसरा नं. 695 रकबा 0.37 हैक्टेयर, खसरा नं. 697 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नं. 845 रकबा 0.42 हैक्टेयर, खसरा नं. 876 रकबा 0.34 हैक्टेयर, खसरा नं. 877 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नं. 931 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नं. 958/1 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नं. 964 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नं. 965 रकबा 0.10 हैक्टेयर, कुल खसरा–11 कुल रकबा 2.59 हैक्टेयर वाके ग्राम बाजनाखुर्द, तहसील हिण्डौन में सायल हि0 1/3 भाग का रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार है। जिससे गैरसायल सं01 ता 4 का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का होना साबित नहीं होता है। सायल ने उक्त विवादित आराजीयात का विधिवत रूप से विभाजन कराने हेतु दावा पेश किया है तथा अपना खाता व लगान कायम कराना चाहता है तथा सायल ने

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि उक्त विवादित आराजीयात में से बाहमी बंटवारा में खसरा नं. 695 रकबा 0.37 हैक्टेयर व खसरा नं. 697 रकबा 0.17 हैक्टेयर व खसरा नं. 958/1 रकबा 0.33 हैक्टेयर सायल के हिस्से में आयी है। सायल व दावे के प्रतिवादी सं. 1 व 2 अपने–अपने हिस्से पर काबिज व दाखिल होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। विवादित आराजी खसरा नम्बर 695 रकबा 0.37 है0, 697 रकबा 0.17 है0 958 /1 रकबा 0.33 है0 वाके ग्राम बाजनाखुर्द तहसील हिण्डौन में गैरसायलान के द्वारा सायल के कब्जा काश्त में बाधा एवं मजाहमत मदाखलत पैदा करने पर ही उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया जाना सही प्रतीत होता है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अवलोकन के आधार पर सायलान का प्रथम दृष्टया केस बखूबी साबित है तथा सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू भी सायलान के पक्ष में साबित है। ऐसी स्थिति में सायल विवादित आराजीयात के बाबत गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का पूर्ण रूपेण अधिकारी साबित है। सायल एवं दावे के प्रतिवादीगण के अधिकार दावे में तय होने हैं। ऐसे हालात में सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाता है कि गैरसायलान विवादित आराजी खसरा नम्बर 695 रकबा 0.37 है0, 697 रकबा 0.17 है0 958/1 रकबा 0.33 है0 वाके ग्राम बाजनाखुर्द तहसील हिण्डौन के मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 11/9/25
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)
हिण्डौन जिला करौली